




राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्



शिक्षा का अधिकार

सर्व शिक्षा अभियान

सरकार द्वारा सरकार द्वारा

ब्लॉक-5, द्वितीय एवं तृतीय तल

डा. एस. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर, जे.एल.एन मार्ग, जयपुर

फोन:- 2705483

फैक्स:- 2701822

दिनांक:- २०/१०/१५

क्रमांक:- एफ-14 ()/डाइस/राप्राशिप/जय/2013-14/ ११८८

अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक,

सर्व शिक्षा अभियान,

समस्त जिले।

विषय:- यू-डाइस 2014-15 भरने के परिप्रेक्ष्य में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य सरकार द्वारा दिनांक 14.08.2014 को राज्य में 17,129 को समन्वित कर 13,536 आदर्श विद्यालय बनाये गये थे। उक्त 17,129 समन्वित विद्यालयों में से दिनांक 15.10.2014 को कुछ विद्यालयों को पृथक किया जा चुका है। उक्त पृथक किये गये विद्यालयों का डीसीएफ प्रपत्र पृथक से भरवाने हेतु निर्देशित करावें।

राज्य सरकार दिनांक 28.10.2014 को सैकेण्डरी विद्यालयों को सीनियर सैकेण्डरी विद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया है। राज्य सरकार द्वारा क्रमोन्नत किये गये विद्यालयों की अपडेट सूचना डीसीएफ प्रपत्र में भरवाने हेतु बीईईओ व नोडल संस्था प्रधान के माध्यम से विद्यालयों के संस्था प्रधान को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करावें।

अतिरिक्त आयुक्त

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, आयुक्त, राप्राशिप, जयपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जयपुर।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त आयुक्त, राप्राशिप, जयपुर।
7. जिला शिक्षा अधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान, समस्त जिले।
8. उपनिदेशक (डाइस), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त आयुक्त